



PRINCIPAL OFFICE
MAHARAJA SUHEL DEV
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE &
MAHRISHI BALARK HOSPITALS, BAHRAICH – 271801



Phone No. 05252-237621/237265

Website: www.asmcbrh.edu.in

Email.ID:- principal.medical.college.brh@gmail.com

पत्रांक संख्या: महा0सु0स्व0चि0महा0 / ए0का0 / 2020-21 / 3255

दिनांक: 26/12/2020

सेवायोजन विज्ञप्ति

महाराजा सुहेल देव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं महार्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच के आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक-आचार्य के रिक्त पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) पद्धति से संविदा (Contractual) के आधार पर भरे जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत् है-

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य				सह-आचार्य				सहायक-आचार्य			
		सामान्य	अ०पि० वर्ग	अनुसूचित जाति	ई०डब्ल्यू० एस०	सामान्य	अ०पि० वर्ग	अनुसूचित जाति	ई०डब्ल्यू० एस०	सामान्य	अ०पि० वर्ग	अनुसूचित जाति	ई०डब्ल्यू० एस०
1	ऑर्थोपेडिक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	आब्स एण्ड गायनी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	एनेस्थिसियालॉजी	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	जनरल मेडिसिन	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
6	जनरल सर्जरी	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
7	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	स्किन एण्ड वी०डी०	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9	पीडियाट्रिक्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10	पैथोलॉजी	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
11	फार्माकोलॉजी	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
14	रेडियो डायग्नोसिस	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
कुल योग		1	2	1	-	4	4	2	-	4	2	2	-

अर्हताएं एवं वेतनमान:-

- शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें- "As per NMC norms."
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या-104/2016/5044(1) 271-1-2019-जी-63/2008 दिनांक 21.12.2019 के अनुसार नियत वेतन रू० 1,35,000/-; सह-आचार्यों को नियत वेतन रू० 1,20,000/- एवं सहायक-आचार्यों का नियत वेतन रू० 90,000/- प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2003 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु, निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू० 1,20,000/- प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। आवेदक को Medical College of India, Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भर्त्स, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

Four



PRINCIPAL OFFICE
MAHARAJA SUHEL DEV
AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE &
MAHRISHI BALARK HOSPITALS, BAHRAICH – 271801

Phone No. 05252-237621/237265

Website: www.asmcbrh.edu.in

Email.ID:- principal.medical.college.brh@gmail.com



3. चिकित्सा शिक्षक को पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
4. एन0एम0सी0 नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी. एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती हैं।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें।
13. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षक कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार देय नहीं होगा।
15. संविदा पर आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकी है।
16. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा, शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
18. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
19. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
20. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक-29.12.2020 को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं, तथा साक्षात्कार का कोई भी TA/DA देय नहीं होगा।

far
प्रभारी चयन प्रकोष्ठ

डा0 (प्र0) अनिल के0 साहनी
एम0 एस0 (जनरल सर्जि) एफ0आई0सी0एस0, एडवांसड् डी0एच0ए0
प्रधानाचार्य
महाराजा सुहेल देव स्वशासी शिवालय चिकित्सा महाविद्यालय
एवं महर्षि बालार्क चिकित्सालय, बहराइच।

